फाइल सं. 7/2/2017-गोप. I/2(भाग)

कर्मचारी चयन आयोग

गोपनीय-I/2 अनुभाग

महत्वपूर्ण सूचना

विषय : **कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) 2011 परीक्षा से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अजीत सिंह तथा 54 अन्य शीर्षक और अन्य जुड़े हुए मामलों के लिए 2017 की रिट याचिका सं. 48354 - के संबंध में दिनांक 20.08.2018 का आदेश।**

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त उल्लिखित आदेश के तहत निम्नलिखित निर्णय देते हुए रिट याचिकाओं के समूह का निपटान किया है :

i) एक समान रिट याचिकाओं के इस समूह में से यदि किसी याचिकाकर्ता ने, अपनी श्रेणी में, जिसके अन्तर्गत वह आता है, दिनांक 28.11.2011 को अधिसूचित कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसका चयन नहीं हुआ है, तो उसे आज(अर्थात् 20.08.2018) से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद, आयोग द्वारा ऐसे दावे की कर्मठतापूर्वक संवीक्षा की जाएगी तथा आगे तीन माह की अवधि के भीतर ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वह चिकित्सा बोर्ड अथवा पुनर्विचार चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य पाया गया हो। तथापि, आयोग को अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करने और उसकी श्रेणी, जिसके अंतर्गत वह आता है, की संवीक्षा करने की भी स्वतंत्रता है और इसके अलावा यह जांच करने की स्वतंत्रता भी होगी कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य निर्णीत किया गया है।

ii) इस मामले में यदि **कोई याचिकाकर्ता** प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ, इस मामले में राज्य कोड/सीमा कोड/ नक्सल कोड इत्यादि में अनुचित परिवर्तन के विशिष्ट ब्यौरे प्रस्तुत करता है, जिससे किसी अभ्यर्थी को अवैध रूप से लाभ दिया गया है तो आयोग ऐसे दृष्टांतों की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि त्रुटि में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी, जिसने चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की थी, ने अपने कोड इत्यादि में परिवर्तन द्वारा जोड़-तोड़ के बल से फिर भी नियुक्ति प्राप्त कर ली है, के विरूद्ध कानून के अनुसार निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के बाद, आयोग द्वारा कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

iii) ऐसे अभ्यर्थियों(याचिकाकर्ताओं) के संबंध में, जिन्होंने **दिनांक 28.11.2011 को अधिसूचित कट-ऑफ** से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, लेकिन चयनित नहीं हुए हैं, यह उपबंधित किया जाता है कि वे आज(अर्थात 20.08.2018) से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने की अपनी घोषणा के प्रमाण के रूप में भी अपने दावे के ब्यौरों के साथ आयोग से संपर्क करेंगे। आयोग द्वारा उनके दावे की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाएगी और इस बारे में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । यह कहना अनावश्यक होगा कि यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी को चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित किया गया है और उसने कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

iv) **ऐसे याचिकाकर्ताओं** के संबंध में, जिन्होंने **28.11.2011 को अधिसूचित कट-ऑफ** से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए थे और उन्होंने समय-सीमा के भीतर अपेक्षित तरीके से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणपत्र के साथ पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे भी आज(अर्थात् 20.08.2018)से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे । इसके पश्चात, आयोग द्वारा ऐसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच की जाएगी और आगे की तीन माह की अवधि के भीतर विज्ञापन में दी गई शर्तों और कानून के अनुसार, जैसा भी अपेक्षित हो, यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

v) **जिन याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 28-11-2011 के अंतिम परिणाम में निर्धारित कट-ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं, उनके लिए वर्ष 2011 में प्रारंभ की गयी भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्ति हेतु दावे पर विचार किए जाने के लिए कोई निदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं और इसलिए उनका अनुरोध निरस्त किया जाता है।**

2. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख अर्थात 20-8-2018 से चार सप्ताह के भीतर विचार किए जाने हेतु **क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), 21– 23 लाउदर रोड, जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद - 211002** को भेजे जाने चाहिएं, जो उपरोक्त वर्णित याचिकाओं में याचिकाकर्ता हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने मुकदमों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। देय तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. इसी अनुक्रम में, निम्नलिखित को नोट किया जाए: -

क) आयोग द्वारा केवल माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 48354/2017 पर दिनांक 20-8-2018 के आदेश के तहत निपटाई गई रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं/वादियों के अभ्यावेदनों और अन्य संबद्ध मामलों पर ही कार्रवाई की जाएगी।

ख) केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं/वादियों के अभ्यावेदनों पर ही विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपनी संबंधित श्रेणी/राज्य/क्षेत्र के लिए दिनांक 28-11-2011 को अधिसूचित कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए चार के.स.पु.ब. में विभिन्न श्रेणियों के लिए दिनांक 28-11-2011 के परिणाम/अधिसूचना में दिए गए कट ऑफ अंक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

राज्य कोड	राज्य का नाम और क्षेत्र	के.स.पु.ब.	श्रेणी				
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	भू.पू.सै.
5	बिहार (सामान्य)	सी.सु.ब.	33	39	33	42	-
5	बिहार (सामान्य)	के.औ.सु.ब.	33	57	52	62	46
5	बिहार (सामान्य)	के.रि.पु.ब.	33	37	33	42	-
5	बिहार (सामान्य)	स.सी.ब.	33	33	33	35	-
5	बिहार (सीमा)	स.सी.ब.	34	39	45	38	-
5	बिहार (नक्सल)	सी.सु.ब.	38	40	40	45	-
5	बिहार (नक्सल)	के.औ.सु.ब.	35	52	53	63	-
5	बिहार (नक्सल)	के.रि.पु.ब.	40	37	37	40	-
5	बिहार (नक्सल)	स.सी.ब.	34	36	36	47	-
33	उत्तर प्रदेश (सामान्य)	सी.सु.ब.	46	51	61	66	43
33	उत्तर प्रदेश (सामान्य)	के.औ.सु.ब.	58	62	70	76	35
33	उत्तर प्रदेश (सामान्य)	के.रि.पु.ब.	45	53	61	67	-
33	उत्तर प्रदेश (सामान्य)	स.सी.ब.	33	35	58	63	-
33	उत्तर प्रदेश (सीमा)	स.सी.ब.	33	33	33	35	-
33	उत्तर प्रदेश (नक्सल)	सी.सु.ब.	33	51	47	54	-
33	उत्तर प्रदेश (नक्सल)	के.औ.सु.ब.	33	60	56	62	-
33	उत्तर प्रदेश (नक्सल)	के.रि.पु.ब.	38	44	42	48	-
33	उत्तर प्रदेश (नक्सल)	स.सी.ब.	-	39	40	45	-

ग) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 20-8-2018 के उपर्युक्त फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि याचिकाकर्ताओं/वादियों के अभ्यावेदनों के साथ संलग्न होनी चाहिए।

घ) यह पूर्णरूप से स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2011 में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में कॉन्स्टेबल (सा.ड्यू) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सा.ड्यू) की भर्ती के संबंध में, इन दोनों बलों के लिए पृथक रूप से केवल एक ही परीक्षा आयोजित की गई थी और उनकी भर्ती के लिए पृथक रूप से परिणाम घोषित किए गए थे। इन दोनों बलों में सभी रिक्तियों को उनकी संबंधित परीक्षाओं से भरा गया था और इसलिए आईटीबीपी और असम राइफल्स में ऐसी कोई रिक्तियां नहीं बची थीं, जिन्हें सी.सु.ब., के.औ.सु.ब., के.रि.पु.ब. और स.सी.ब. में कांस्टेबल (सा.ड्यू.) परीक्षा, 2011 के जरिए भरा जाए। अत:, आईटीबीपी या असम राइफल्स में रिक्तियों और उनके कॉन्स्टेबल (सा.ड्यू) परीक्षा, 2011 के आधार पर भरे जाने के संदर्भ में किसी अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

अवर सचिव (गोप-I/ 2)

दिनांक: 07 सितम्बर, 2018